रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1847] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2014/भाद्र 24, 1936
No. 1847] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2014/BHADRA 24, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2014

का.आ. 2346(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपे हैं;

पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खण्ड	कि. मी. से कि. मी. तक खण्ड	का. आ. संख्या	तारीख
24 बी	30	लखनऊ–रायबरेली	4.700–70.000	का.आ. 452(अ)	16.03.2012
24 बी	30	लखनऊ–रायबरेली–इलाहाबाद	70.000–188.050	का.आ. 985(अ)	18.06.2007

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (वार्षिकी) आधार पर लखनऊ–रायबरेली खण्ड के डिजाइन 12.700 कि.मी. से 82.700 कि.मी. तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के चार लेन के स्टेन्डर्ड में विकास हेतु 25–11–2011 को प्राप्त बोलियों के लिए, मैसर्स एस्सल लखनऊ–रायबरेली टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एस्सल हाउस, बी–10 लारेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110035 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ 03–02–2012 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम 2008, जो सा.का.नि. 838(अ), दिनांक 05 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जिनमें सा.का.नि. 950 (अ), दिनांक 3 दिसम्बर, 2010,

सा.का.नि. 15(अ), दिनांक 12 जनवरी, .2011, सा.का.नि. 756(अ), दिनांक 12 अक्तूबर, .2011 और सा.का.नि. 778 (अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 तथा सा.का.नि. 26 (अ), दिनांक 16 जनवरी, 2014 द्वारा संशोधन किए गए थे। (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि चार–लेन के खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क की कुल समकक्ष लम्बाई 77.632 कि.मी. {69.152 कि.मी. सड़क की निवल लम्बाई तथा 0.848 कि.मी. की संरचना (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) सहित जिसकी समकक्ष लम्बाई 8.480 कि.मी. है} के लिए स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा और उक्त प्राधिकरण को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, जो भी बाद में हो, उक्त शुल्क को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
4.	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
5.	भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
6.	बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

IndiaCode

(1) नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, उपर्युक्त उल्लिखित आधार दर पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
लखनऊ जिले के दक्षिण शेखपुर के पास 42.550 कि. मी. पर (विद्यमान चैनेज 42.520 कि.मी.	69.152	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित ऐसी संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, का उपयोग किए जाने के लिए संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करते हुए राजमार्ग की समान लम्बाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	समान लम्बाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी.) में	समान सड़क की लम्बाई (कि.मी.) में	दर जिस पर शुल्क संदेय है
लखनऊ जिले के दक्षिण शेखपुर के पास 42.550 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 42.520 कि.मी.)	0.848*	8.480	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

* (60 मीटर से अधिक) की संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः

क्रम सं0	विवरण	स्पैन व्यवस्था	लम्बाई (मीटर)
(i)	48.721 कि.मी. पर आर ओ बी	15+27+15+16X24	441.00
(ii)	81.265 कि.मी. पर आर ओ बी	27+25+18.786+14X24	406.786
		कुल	847.786

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पच्चीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे तक
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5 जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. चालक अथवा मालिक अथवा ऐसे अधिक भार के लदे यांत्रिक वाहन के प्रभारी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार से लदे वाहन के प्रवेश कराने के लिए नियमों के अधीन टोल संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के 10 गुणा के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड के उपयोग की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन पर लदा हुआ अधिक भार हटा नहीं दिया जाता ।

7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी,। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा तथा उसे तद्नुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से'–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 635.90 करोड़ रुपए है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन उपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, पेड़ों की कटाई आदि संबंधी कार्यकलाप अभी पूरे किए जाने बाकी है। अंतिम पूंजी लागत अलग–से अधिसूचित की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/13–14/जीसी – लखनऊ–रायबरेली/बीओटी (वार्षिकी)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2014

S.O. 2346(E).—Whereas by the following notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the following stretches of National highways in the state of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Old NH No.	New NH No.	Section	Stretch from km to km	S.O. No.	Date
24 B	30	Lucknow- Raebareilly	4.700-70.000	S.O. 452 (E)	16.03.2012
24 B	30	Lucknow- Raebareilly- Allahabad	70.000- 188.050	S.O. 985 (E)	18.06.2007

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) the Authority has entered into an Agreement on 03-02-2012 (hereinafter referred to as said agreement)with M/s. Essel Lucknow- Raebareilly Toll Road Pvt. Ltd. having its registered office at Essel House, B-10, Lawrence Road, Industrial Area, New Delhi- 110035, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bids received on 25-11-2011, for the development of Lucknow- Raebareilly section from design km 12.700 to kilometer 82.700 (hereinafter referred to as the "said section') to Four lane standards in Design, Build, Finance, Operate and Transfer (Annuity) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 amended vide G.S.R 950 (E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013 and G.S.R. 26(E) dated 16th January, 2014 (hereinafter referred to as the Rules'), the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for total equivalent road length of 77.632 km. {including 69.152 km. Net road length and 0.848 km of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 8.480 km.} for the use of four-lane section on the Type of Vehicles specified in column(1) at the rate specified in columns (2) (hereinafter referred to as "base rate") of Table 1 below and authorizes the said Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later:

TABLE 1

S. No	**Type of Vehicles**	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3.	Bus or Truck (Two Axles)	2.20
4.	Three-axle commercial vehicles	2.40
5.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
6.	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the length specified for such Toll Plaza at the above mentioned base rate:

Location of Toll Plaza (Design chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 42.550 (existing chainage km 42.520) near Dakhina Shekhpur, District Lucknow	69.152	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by converting the length of structures into an equipment length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10;

Location of Toll Plaza (Design chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 42.550 (existing chainage km 42.520) near Dakhina Shekhpur, District Lucknow	0.848*	8.480	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

* The details of structures (> 60 m) are as under:

S. No.	**Description**	**Span Arrangement**	**Length (m)**
(i)	ROB at km 48.721	15+27+15+16x24	441.000
(ii)	ROB at km 81.265	27+25+18.786+14x24	406.786
		Total	847.786

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred and Twenty Five only) for the year 2014-15, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza fall shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle, provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rule.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 635.90 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost; the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/13-14/GC–Lucknow- Raebareilly/BOT (Annuity)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.